प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

न्यायपीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा

एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एन. चंद्राकर

दांडिक अपील क्रमांक **450** सन् **2003**

गणपत वर्मा एवं अन्य

— बनाम —

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/

(टी.पी. शर्मा)

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एन. चंद्राकर

मैं सहमत हूँ

हस्ताक्षरित/

(आर.एन. चंद्राकर)

न्यायाधीश

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 6 सितम्बर, **2011** को सूचीबद्ध करे।

हस्ताक्षरित/

(टी.पी. शर्मा)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक **450** सन् **2003**

युगलपीठ**:**

न्यायपीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एन. चंद्राकर

अपीलकर्ता : 1. गणपत वर्मा, आयु लगभग 23 वर्ष,

(अभिरक्षा में) पिता— बलदाऊ वर्मा।

2. बलदाऊ वर्मा, आयु लगभग 40 वर्ष,

पिता— बलिराम वर्मा।

दोनों निवासी— ग्राम मोहलैने,

थाना— नांदघाट, जिला— दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील)

अपीलकर्ताओं की ओर से— श्रीमती संगीतामिश्रा, अधिवक्ता।

राज्य/प्र**त्यर्थी** की ओर से— श्री डी.के. ग्वाले, शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक **6** सितम्बर**, 2011** को उद्घोषत**)**

न्यायालय का निर्णय माननीय श्री न्यायमूर्ति टी**.**पी**.** शर्मा द्वारा दिया गया—

1. इस अपील में दिनांक 10.02.2003 के उस दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को चुनौती दी गई है, जो अपर सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 214/2002 में पारित किया गया; जिसके द्वारा विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्ता श्रीमती प्रेमबाई तथा शिवकुमार वर्मा को दोषमुक्त करते हुए, अपीलकर्ताओं गणपत वर्मा एवं बलदाऊ वर्मा को शैलकुमारी की हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी ठहराया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास दंड तथा 500/- का अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया गया; अर्थदंड के भुगतान में चूक होने पर प्रत्येक को चार माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि नाममात्र का साक्ष्य उपलब्ध न होते हुए भी, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा उपर्युक्तानुसार अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध कर दंडित किया गया है, और इस प्रकार अवैधता कारित की है।

3. अभियोजन के मामले के अनुसार, अपीलकर्ता गणपत वर्मा से सम्बन्ध के कारण मृतका शैलकुमारी गर्भवती हुई थी। पंचायत की बैठक बुलाई गई तथा पंचायत बैठक के उपरांत

दिनांक 12.04.2002 को चूड़ी प्रथा के अनुसार उसकी शादी अपीलकर्ता गणपत से कराई गई। तत्पश्चात, दिनांक 23.04.2002 को उसकी मृत्यु अपीलकर्ताओं के घर में हो गई। मृतका का शव अत्यधिक जला हुआ (झुलसा हुआ) पाया गया। अपीलकर्ता क्रमांक 2 बलदाऊ ने मर्ग सूचना दर्ज कराई, जो प्रदर्श-पी/7 है। प्रद. प्रदर्श-पी/8 भी अभिलेखित किया गया। विवेचक ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा साक्षियों को तलब कर प्रदर्श-पी/1 के माध्यम से मृतका शैलकुमारी के शव का मृत्यु समीक्षा तैयार किया, जो प्रदर्श-पी/2 है। विवेचक द्वारा मौका नक्शा प्रदर्श-पी/3 के रूप में तैयार किया गया। मौके से मिट्टी के तेल का जरी कैन, माचिस की डिब्बी तथा जला हुआ कपड़े का टुकड़ा जप्त किया गया, जो प्रदर्श-पी/4 है। मृतका के शव को खण्ड चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवागढ़ के पास शव परीक्षण हेतु भेजा गया, जो प्रदर्श-पी/11 है, जहाँ डॉ. एस.के. शर्मा (अ.स-15) ने प्रदर्श-पी/19 के अनुसार शव परीक्षण किया और यह पाया कि शव 100% जला हुआ था, शरीर के कुछ भाग अत्यधिक झुलसे हुए थे तथा गर्दन पर रस्सी का निशान पाया गया। मृत्यु का कारण दम घुटना पाया गया, जो गला घोंटने तथा मृत्युपरांत कारीत जलन से आई चोटों के परिणामस्वरूप था तथा मानव वध प्रकृति की थी। शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/9 एवं प्रदर्श-पी /20 के माध्यम से दर्ज की गई। जप्त सामग्री को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया तथा कपड़े एवं जरी कैन पर मिट्टी के तेल की उपस्थिति की पुष्टि प्रदर्श-पी/16 से हुई।

4. साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अंतर्गत अभिलेखित किए गए (आगे इसे "संहिता" कहा गया है) तथा विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोग-पत्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेमेतरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को विचारण हेतु सत्र न्यायालय, दुर्ग को उपार्पित किया, जहाँ से प्रकरण स्थानांतरण पर अपर सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के दोष को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 18 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी अभिलेखित किए गए, जिनमें उन्होंने अपने विरुद्ध दर्शित परिस्थितियों से इंकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रश्नगत अपराध में झूठा फँसाया जाना बताया।

6. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, अपर सत्र न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों—श्रीमती प्रेमबाई एवं शिवकुमार वर्मा—को दोषमुक्त करते हुए, अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त अनुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया।

7. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा आक्षेपित निर्णय एवं विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, विशेष रूप से चिकित्सक के साक्ष्य पर, जिसे स्वतंत्र स्रोतों से समर्थन प्राप्त नहीं है। अपीलकर्ता बलदाऊ ने स्वयं प्रदर्श-पी/7 के माध्यम से मर्ग सूचना दर्ज कराई है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के समय वे वहाँ उपस्थित नहीं थे तथा मृतका ने आत्महत्या की है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने नेसारअहमद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले का अवलंब लिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि अपराध स्थल पर महत्वपूर्ण समय में अभियुक्त की उपस्थिति के प्रमाण के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूर्ण श्रृंखला संदेहास्पद हो, तो अभियुक्त की दोषसिद्धि को

संदेह का लाभ देते हुए अपास्त किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने बाबूराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि चिकित्सक का साक्ष्य अभियोजन के अन्य साक्ष्यों से समर्थित न हो तथा यह प्रदर्शित हो कि घटना-स्थल के आसपास पड़ोसी उपस्थित होने के बावजूद उनका कोई समर्थनकारी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो मात्र चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। विद्वान अधिवक्ता ने मयूर पनाभाई शाह बनाम गुजरात राज्य के प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चिकित्सक के साक्ष्य का मूल्यांकन अन्य साक्षियों के साक्ष्य की भाँति किया जाना चाहिए और कोई उपधारणा नहीं की जा सकती कि चिकित्सक सदैव ही सत्य साक्षी होता है। विद्वान अधिवक्ता ने वडुगुचंती बाबू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि चिकित्सक ने अपने बयान में मृतक के शरीर पर कोई बाह्य चोट नहीं पाई है तथा यह भी कहा है कि सामान्यतः गला घोंटने के मामलों में हिंसा अथवा चोटों के स्पष्ट चिह्न प्रत्येक मामले में नहीं मिलते और यह केवल चिकित्सक की राय हो सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने रायवती बाई उर्फ बुद्धि बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें इस न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि निर्णय केवल उपधारणा के आधार पर नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने हरदीप बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हरियाणा राज्य के प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्यों का मूल्यांकन यांत्रिक ढंग से नहीं किया जाना चाहिए।

10. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अपराध को सिद्ध करने हेतु पर्याप्त हैं। अपीलकर्ता बलदाऊ द्वारा दर्ज कराई गई मर्ग सूचना प्रदर्श-पी/7 से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि विवाह दिनांक 12.04.2002 को हुआ तथा शैलकुमारी की मृत्यु दिनांक 23.04.2002 को, अर्थात् विवाह के मात्र 11 दिनों के भीतर, अपीलकर्ता के घर में हुई, जो स्वयं में एक प्रबल प्रतिकूल परिस्थिति है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि जिन कारणों का सर्वोत्तम ज्ञान अपीलकर्ताओं को है, उन्हें उन्होंने नकार दिया है अपीलकर्ताओं द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर देते समय उपर्युक्त विवाह संबंधी तथ्य से इंकार किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों का सम्यक् मूल्यांकन करने हेतु, हमने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का परीक्षण किया।

12. प्रकरण में डॉ. एस.के. शर्मा (अ.स-15) के साक्ष्य के अनुसार, उन्होंने मृतका का शव परीक्षण किया। शव 100% जला हुआ पाया गया तथा गर्दन के अग्र भाग में मध्य में उथला नालीनुमा निशान पाया गया, जो 16 सेमी लंबा एवं 3 सेमी चौड़ा था तथा कंठिका अस्थि की उभार के क्षेत्र में स्थित था। उक्त चोट के नीचे रक्तगुल्म पाया गया। उनके साक्ष्य एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/19 के अनुसार, शव के कुछ भाग अत्यधिक झुलसे हुए थे, दाहिना स्तन भी झुलसा हुआ पाया गया तथा शव अत्यंत जला हुआ था। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/19 के अनुसार, गर्दन में कंठिका अस्थि भंग भी पाया गया। जली हुई चोटें मृत्युपरांत (शव-परीक्षण) प्रकृति की थीं। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी का विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया गया। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 10 में उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने श्वासावरोध (दम घुटना) के लक्षण तथा जलन के लक्षण पाए हैं। कंडिका 12 में उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने गर्दन के अंदर रक्तगुल्म पाया। उनका साक्ष्य, शव परीक्षण प्रतिवेदन से समर्थित होकर, स्पष्ट रूप से यह प्रकट करता है कि जली हुई चोटें मृत्यु पश्चात की थीं तथा मृत्यु का कारण श्वासावरोध था और मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप मानव वध प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. भुखिन बाई (अ.स-2), जो मृतका शैलकुमारी की माता तथा अपीलकर्ताओं की पड़ोसी हैं, के साक्ष्य के अनुसार, उन्होंने शैलकुमारी की सहायता हेतु आवाज “दीदी ओ बचाओ” सुनी। तत्पश्चात वे श्रीराम के साथ उस स्थान पर पहुँचीं, जहाँ बाहर से उन्होंने देखा कि

अपीलकर्ता तथा दो अन्य अभियुक्त कमरे से बाहर निकल रहे थे। कमरे से मिट्टी के तेल की गंध तथा धुआँ निकल रहा था। उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद अपीलकर्ता कमरे से बाहर आए। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि शैलकुमारी, अपीलकर्ता गणपत से सम्बन्ध होने के कारण गर्भवती थी और वही इस घटना का कारण था। राधेश्याम (अ.स-3) एवं श्रीराम वर्मा (अ.स-4), मृतका के भाई, ने भी मृतका के संबंध में भुखिन बाई (अ.स-2) के साक्ष्य को, शैलकुमारी के साथ अपीलकर्ता गणपत के संबंध की सीमा तक, पर्याप्त रूप से पुष्ट किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. वस्तुतः अभियोजन ने निम्नलिखित साक्ष्य संकलित किए हैं—

(i) शैलकुमारी का विवाह अपीलकर्ता गणपत से दिनांक 12.04.2002 को हुआ था, जो घटना से ग्यारह दिन पूर्व था।

(ii) शैलकुमारी का मृत शरीर अपीलकर्ताओं के घर में जली हुई अवस्था में पाया गया।

(iii) दबावपूर्ण परिस्थितियों में अपीलकर्ता गणपत ने शैलकुमारी से विवाह किया। यद्यपि अपीलकर्ता बलदाऊ ने स्वयं मर्ग दर्ज कराई है, जिसमें उसने चूड़ी प्रथा के अंतर्गत विवाह स्वीकार किया है। यह संस्वीकृति कथन नहीं है, तथापि साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है; किंतु अपीलकर्ताओं द्वारा यह स्वीकार करने के बावजूद कि घटना उनके घर में हुई, उन्होंने उक्त विवाह के तथ्य से इंकार किया है—जिसका कारण अपीलकर्ताओं को ही सर्वोत्तम रूप से ज्ञात है।

15. भुखिन बाई (अ.स-2) के साक्ष्य के अनुसार, उन्होंने दोनों अपीलकर्ताओं को उस कमरे से बाहर निकलते हुए देखा, जहाँ शैलकुमारी का शरीर जलाया गया था और जहाँ उसका जला हुआ शव पाया गया। चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार, मृत्यु का कारण जलना नहीं, बल्कि गला घोंटने के परिणामस्वरूप उत्पन्न श्वासावरोध (दम घुटना) था।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेसर अहमद एवं अन्य (उपर्युक्त) प्रकरण में प्रतिपादित विधि के अनुसार, अभियोजन के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अपीलकर्ता घटना स्थल पर उपस्थित था; जिसे अभियोजन ने भुखिन बाई (अ.स-2) के साक्ष्य से सिद्ध कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाबूराम (उपर्युक्त) प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि चिकित्सक के साक्ष्य को भुखिन बाई (अ.स-2) के साक्ष्य से पुष्टता प्राप्त होती है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मयूर पनाभाई शाह (उपर्युक्त) प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चिकित्सक के साक्ष्य का मूल्यांकन भी अन्य किसी गवाह के सामान ही किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, डॉक्टर के साक्ष्य की मूल्यांकन करने

पर यह स्थापित होता है कि मृतक की मृत्यु जलने की चोट के परिणामस्वरूप नहीं, बल्कि श्वासावरोध के परिणामस्वरूप हुई थी।

19. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वडुगुचंटी बाबू पूर्वोक्त के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, यह सच है कि आम तौर पर गला घोंटने के सभी मामलों में हिंसा के निशान और चोटें नहीं मिल सकती हैं, लेकिन वर्तमान मामले में, दोषसिद्धि केवल चिकित्सक की राय पर आधारित नहीं है, बल्कि अन्य आधार पर भी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा रैवाती बाई उर्फ बुधी पूर्वोक्त के मामले में माना गया है, अधिनस्थ न्यायलय ने अपीलकर्ता को अवधारणा के आधार पर दोषी नहीं ठहराया है, बल्कि वर्तमान मामले में, अधिनयस्थ न्यायलय ने गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है।

21. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरदीप पूर्वोक्त के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, साक्ष्य को यांत्रिक तरीके से नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है।

22. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य, विशेष रूप से अपीलकर्ता बलदाऊ द्वारा दर्ज कराई गई मर्ग, चिकित्सक के साक्ष्य, भुखिन बाई (अ.स-2) और अन्य गवाहों के साक्ष्य स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि अपीलकर्ता गणपत का शैलकुमारी के साथ उसकी गर्भावस्था के बहाने अवैध संबंध था, हालांकि वह गर्भवती नहीं थी। गणपत को शैलकुमारी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, उसने दिनांक 12.4.2002 को शैलकुमारी से शादी की और उसकी मृत्यु दिनांक 23.4.2002 को, कथित शादी के ग्यारह दिनों के भीतर, वह भी अपीलकर्ताओं के घर में हुई और वह अपीलकर्ता गणपत से शादी करने में रुचि रखती थी। आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं था। रस्सी या अन्य किसी वस्तु के बिना स्वयं अपने गले को घोंटना संभव नहीं है। शैलकुमारी की मृत्यु गला घोंटने/श्वासावरोध से होने के बाद, स्वयं के द्वारा मिट्टी का तेल डालना और खुद को आग लगाना संभव नहीं था। यह साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि शैलकुमारी की मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप हुई, यानी गर्दन पर बल प्रयोग करके और उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को 100% मात्रा तक जल चुका है। शरीर का अगला हिस्सा बुरी तरह जल गया था, पिछला हिस्सा बुरी तरह नहीं जला था। यह स्वीकार किया गया कि उसने कपड़े पहने हुए थे और जब मिट्टी का तेल डाला गया, तो शरीर के हिस्से पर जलने की मात्रा और मिट्टी के तेल से जलना शरीर के हिस्से पर फेंकी गई मिट्टी के तेल की मात्रा पर निर्भर करेगा। यदि शरीर फर्श पर पड़ा है, तो शरीर के ऊपरी हिस्से पर अधिक मात्रा में मिट्टी का तेल फेंका गया है, लेकिन शरीर में आग लगने के बाद, उसके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शरीर का बाकी हिस्सा भी मिट्टी के तेल के आधार पर जल गया और पहने हुए कपड़े की मदद से दूसरे हिस्से से अलग हो गया।

23. भुखिन बाई (अ.स-2) का साक्ष्य यह तथ्य स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि घटना के समय दोनों अपीलकर्ता कमरे में मौजूद थे, वे यह बताने के लिए बाध्य थे कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में, एकमात्र निष्कर्ष यह संभव होगा कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने उसे मारने के आशय से मृतक की मानव वध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की मूल्यांकन करने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए अपीलकर्ताओं को पूर्वकथित रूप में दोषी ठहराया और सजा सुनाई है।

25. साक्ष्य की बारीकी से जांच करने पर, हमने आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या दोष नहीं पाया जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यक्ता है।

26. नतीजतन, अपील गुण रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

हस्ताक्षरित/-

आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का के विरुद्ध शिकायत दर्ज होने पर ऐसी जांच में गोपनी अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by; Priti Rout